GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT
(CADRE CONTROLLING UNIT)
9TH LEVEL, B-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI-110002

A-25/1/2025-Acct.-/E-229673 DATED:

PUBLIC NOTICE

As required under the Para-2 of DoPT's OM No **AB-14017/61/2008-Estt.(RR) dated 13.10.2015** and Services Department, Govt. of NCT of Delhi Circular No. **F2(1)/RRs/2021/S-VI/676-680 dated 06.04.2021,** the Draft Recruitment Rules, 2026 for the post of **Data Processing Assistant**, General Central Service, Group-B, Gazetted, Non-Ministerial are being uploaded on website of this Department.

All stakeholders may go through the draft recruitment rules and communicate their views/ comments on aforesaid draft Recruitment Rules to the Department of Information Technology, Govt. of NCT of Delhi through email to **itd-gnctd@delhi.gov.in** within 30 days of this public notice.

Encl. As above.

Digitally signed by Devendra Sharma
Date: 30-10-2026 15:25:11

(Devendra Sharma)
Dy. Secretary (IT)

A-25/1/2025-Acct.-/E-229673 DATED:
Copy to:
1. PA to Secretary (IT).
2. PS to SS (IT).
3. Jt. Director (IT).
4. All Branch In-charges of IT Department.
5. Website In-Charge, IT Department, GNCTD with the directions to upload this public notice on the website immediately.
6. Guard File.

(Devendra Sharma)
Dy. Secretary (IT)

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT
9TH LEVEL, B-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI-110002

A-25/1/2025-Acct.-ITD/E- 229673 **Dated:**

NOTIFICATION

A-25/1/2025-Acct.-ITD/E- 229673 In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with Government of India, Ministry of Home affairs notification No. F.24/78/68 DH(S) dated 24th September, 1968 and in supersession of the Recruitment Rules for the post of Data Processing Assistant notified vide No. F.No.19(1)/2018/ITC/6225 dated 01st November,2019, as amended from time to time, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, with the prior consultation of the Union Public Service Commission, is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment and qualification necessary for appointment to the post of Data Processing Assistant in the Information Technology Department, Govt. of National Capital Territory of Delhi namely:

1. **Short title and commencement:** -(i) These Rules may be called the **Data Processing Assistant**, Department of Information Technology, Govt. of NCT of Delhi, Recruitment Rules 2026.

(ii) These shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Application:** These rules shall apply to the posts specified in Column No. 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix:** The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in Column 2 to 4 of the schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, other qualification etc.:** The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in Column No. 5 to 11 of the said schedule.

5. **Disqualifications:** -No person

(a) Who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or
(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to any of the said posts.

Provided that the Department of Information Technology may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rules.

6. **Power to relax:** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving:** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Govt. of India from time to time, in this regard.

<u>**ANNEXURE-I**</u>

Recruitment Rules for the post of Data Processing Assistant in the Pay Scale of Rs. 44900-142400, Level- 7 of 7th CPC in the Govt. of NCT of Delhi

1	Name of the Post	Data Processing Assistant
2	Number of Post	310* (2026) *Subject to variation dependent on work load

NAME OF DEPARTMENT	SANCTIONED STRENGTH
REVENUE DEPARTMENT	37
DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES	18
CENTRAL JAIL	14
TRANSPORT DEPARTMENT	14
INFORMATION TECHNOLOGY (HQ)	12
DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE	11
DIRECTORATE OF EDUCATION	9
DIRECTORATE OF HEALTH & FAMILY WELFARE	8
PRINCIPAL ACCOUNT OFFICE	7
FOOD SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS	7
LABOUR DEPARTMENT	7
DELHI SUBORDINATE SERVICES SELECTION BOARD	7
DEPARTMENT OF WOMEN And CHILD DEVELOPMENT	7
Office of CHIEF ELECTRORAL OFFICE	6
DIRECTORATE OF ECONOMICS & STATISTICS	6
DIRECTORATE OF TRAINING & TECHNICAL EDUCATION	4
DEPARTMENT OF EXCISE ENTERTAINMENT & LUXURY TAX	6
DEPARTMENT OF FOOD SAFETY	4
LT. GOVERNOR'S SECRETARIAT	4
DELHI JAL BOARD (DJB)	4
IRRIGATION & FLOOD CONTROL DEPARTMENT	4
PUBLIC WORK DEPARTMENT	4
AMBEDKAR INSTITUTE OF ADVANCE TECHNOLOGIES & RESEARCH	4
CH. BRAHM PRAKASH GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE	4
DEVELOPMENT DEPARTMENT	3
STATE ELECTION COMMISION	3
DEPARTMENT OF ENVIRONMENT	3
PUBLIC GRIEVANCE COMMISSION	3
REGISTRAR COOPERATIVE SOCIETY	3
GOVIND BALLABH PANT INSTITUTE OF POSTGRADUATE MEDICAL EDUCATION & RESEARCH	3

			LOK NAYAK HOSPITAL	3
			DIRECTORATE OF EMPLOYMENT	3
			DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT	3
			DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION	2
			FINANCE DEPARTMENT	2
			WEIGHT AND MEASUREMENT DEPARTMENT	2
			DIRECTORATE OF INFORMATION AND PUBLICITY	2
			DIRECTORATE OF VIGILANCE	2
			LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT	2
			LOKAYUKTA	2
			TOURISM DEPARTMENT	2
			UNION TERRITORIES CIVIL SERVICES	2
			MADAN MOHAN MALVIYA HOSPITAL	2
			DEPARTMENT OF DRUGS CONTROL	2
			BURARI HOSPITAL	2
			INDIRA GANDHI HOSPITAL (DWARKA)	2
			DIRECTORATE OF PROSECUTION	2
			DIRECTORATE GENERAL OF HOME GUARDS	2
			HOME DEPARTMENT	2
			POWER DEPARTMENT AND ALLIED OFFICES	2
			DEPARTMENT FOR THE WELFARE OF SC/ST/OBC	2
			DR. BABA SAHEB AMBEDKAR HOSPITAL	2
			COLLEGE OF ARTS	1
			DIRECTORATE OF GURUDWARA ELECTION	1
			DEPARTMENT ADMINISTRATIVE REFORMS	1
			DIRECTORATE OF PROHIBITION	1
			GENERAL ADMINISTRATIVE DEPARTMENT	1
			DEPARTMENT OF ART, CULTURE & LANGUAGE	1
			CATS	1
			DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES	1
			INSTITUTE OF HUMAN BEHAVIOUR AND ALLIED SCIENCES	1
			JANAK PURI SUPER SPECIALITY HOSPITAL	1
			LAL BAHADUR SHASTRI HOSPITAL	1
			MAULANA AZAD INSTITUTE OF DENTAL SCIENCES (MAIDS)	1
			MAULANA AZAD MEDICAL COLLEGE	1
			RAJIV GANDHI SUPER SPECIALITY HOSPITAL	1
			RAO TULA RAM HOSPITAL	1
			SANJAY GANDHI MEMORIAL HOSPITAL	1
			SARDAR VALLABH BHAI PATEL HOSPITAL	1
			SATYAWADI RAJA HARISHCHANDRA HOSPITAL	1
			SUSHRUT TRAUMA CENTRE	1
			INDUSTRIES DEPARTMENT	1
			LAND & BUILDING DEPARTMENT	1

		DELHI BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKER WELFARE BOARD	1
		DELHI LABOUR WELFARE BOARD	1
		DELHI DISPUTES RESOLUTION SOCIETY	1
		DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS	1
		DISTRICT & SESSION JUDGE OFFICE	1
		DELHI FIRE SERVICE	1
		DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY	1
		DEPARTMENT OF DELHI ARCHIVES	1
		OFFICE OF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES	1
		DELHI COMMISSION FOR SAFAI KARAMCHARIS	1
		DELHI COMMISSION FOR WOMEN	1
		OBC COMMISSION	1
		DIRECTORATE OF AYUSH	1
		FINANCE BUDGET (GAD)	1
		GTB HOSPITAL	1
		MANDOLI JAIL	1
		Total	**310**

3.	Classification	General Central Service, Group ‘B’ Gazetted, Non-Ministerial
4.	Pay Level in the pay Matrix	Level-7, (Rs. 44900-142400) in the Pay Matrix
5.	Whether Selection or Non-Selection Post	Selection
6	Age limit for Direct Recruits	*Not exceeding 30 years* *Relaxable for Government Servant upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Govt.)* *Note: The crucial date for determining the age limit as advertised by Competent Authority.*
7	Educational & other qualifications required for Direct recruits	(i) Master's Degree in Computer Applications/ Information Technology/Computer Science of a recognized University/Institute; **OR** (ii) B.E. / B. Tech. in Computer Engineering/Computer Science / Computer Technology / Computer Science & Engineering / Information Technology from a recognized University / Institute. Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission (U.P.S.C.), for reasons to be recorded in writing, in case of candidates qualified.
8	Whether age & Educational Qualifications prescribed for direct Recruits will apply in case of promotes	Age: No Educational Qualifications : No
9	Period of probation, if any	**Two Years for Direct Recruitment.**

		"Two weeks induction training in the field of duties of the post module desired by user departments as part of successful completion of probation". **Note:** No probation in case of Promotion.
10	Method of Rectt. Whether by direct rectt. or by promotion/or by Deputation/Absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	5% (16 posts) by Promotion failing which by Deputation. 95% (294 posts) by Direct Recruitment failing which by Deputation.
11	In case of recruitment By Promotion/Deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<u>**Promotion:**</u> From **IT Assistant Grade 'D'** in Level-6, Rs. 35400-112400/- in the pay matrix rendered **five years'** regular service in the grade. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **"Deputation:** Officers of the Central Government / State Government / Union Territories (a) (i) Holding analogue post on a regular basis in the parent cadre or department; Or (ii) With five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in Level-6, Rs. 35400-112400/- in the pay matrix, or equivalent in the parent cadre/department; And (b) Possessing the qualification and experience prescribed for Direct Recruitment under Col.No.7; Note: Period of Deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government/State Government/Union Territories shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

12	If a DPC exists what is its Composition	**"Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):** 1. Addl. Chief Secretary (Finance)/Pr. Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi –Chairperson. 2. Administrative Secretary Concerned, Govt. of NCT of Delhi– Member. 3. Special/Addl. Secretary (Services), Govt. of NCT of Delhi-Member. **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation):** 1. Addl. Chief Secretary (Finance)/Pr. Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi –Chairperson. 2. Administrative Secretary Concerned, Govt. of NCT of Delhi– Member. 3. Special/Addl. Secretary (Services), Govt. of NCT of Delhi-Member. **Note:-** Senior most member of the Departmental Promotion Committee/ Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee happens to be Junior to another member of the Departmental Promotion Committee."
13	Circumstances in which UPSC to be consulted in making Recruitment	Consultation with UPSC is necessary

By order and in the name of the Lt. Governor

of National Capital Territory of Delhi

Anand Kumar Tiwari
Special Secretary (IT)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
नौवां तल, बी विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-110002

ए-25/1/2025-एसीसीटी-आईटीडी/ई-229673 **दिनांक:**

अधिसूचना

ए-25/1/2025-एसीसीटी-आईटीडी/ई-229673 गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितंबर, 1968 की अधिसूचना संख्या फा० 24/78/68 डीएच(एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा दिनांक 01 नवंबर, 2019 की फा० सं० 19(1)/2018/आईटीसी/6225 के द्वारा अधिसूचित डाटा प्रोसेसिंग सहायक के पद हेतु भर्ती नियमों, समय-समय पर यथा संशोधित के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श से एतद्द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में डाटा प्रोसेसिंग सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक भर्ती पद्धति एवं योग्यता को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:** - (i) इन नियमों को डाटा प्रोसेसिंग सहायक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, भर्ती नियमावली, 2026 कहा जाए।

(ii) ये दिल्ली राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **अनुप्रयोग:** ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम संख्या 1 में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर**: उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स के स्तर, इसके साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

4. **भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अन्य योग्यता आदि:** उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम संख्या 5 से 11 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

5. **अयोग्यता:** - वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह का अनुबंध कर चुका है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह का अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकता है।

6. **शिथिल करने की शक्ति** :- जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

7. बचाव :- इन नियमों में भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य किसी विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुलग्नक-I

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में 7वें केन्द्रीय वेतन योग के स्तर-7 के वेतनमान 44900-142400 रुपये में डाटा प्रोसेसिंग सहायक के पद हेतु भर्ती नियम।

1	पदनाम	डाटा प्रोसेसिंग सहायक
2	पदों की संख्या	310* (2026) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।

विभाग का नाम	**स्वीकृत संख्या**
राजस्व विभाग	37
व्यापार एवं कर विभाग	18
केंद्रीय जेल	14
परिवहन विभाग	14
सूचना प्रौद्योगिकी (मुख्यालय)	12
समाज कल्याण विभाग	11
शिक्षा निदेशालय	9
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय	8
प्रधान लेखा कार्यालय	7
खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	7
श्रम विभाग	7
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड	7
महिला एवं बाल विकास विभाग	7
मुख्य निर्वाचन कार्यालय	6
अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय	6
प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय	4
आबकारी, मनोरंजन और विलासिता कर विभाग	6
खाद्य सुरक्षा विभाग	4
उपराज्यपाल का सचिवालय	4
दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी)	4
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग	4
लोक निर्माण विभाग	4
अंबेडकर उन्नत प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान संस्थान	4
चौ0 ब्रह्म प्रकाश सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज	4
विकास विभाग	3
राज्य चुनाव आयोग	3
पर्यावरण विभाग	3
लोक शिकायत आयोग	3
पंजीयक सहकारी समिति	3
गोविंद बल्लभ पंत स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान	3
लोक नायक अस्पताल	3
रोजगार निदेशालय	3
शहरी विकास विभाग	3
उच्चतर शिक्षा निदेशालय	2
वित्त विभाग	2
माप एवं तोल विभाग	2

			सूचना एवं प्रचार निदेशालय	2
			सतर्कता निदेशालय	2
			विधानसभा सचिवालय	2
			लोकायुक्त	2
			पर्यटन विभाग	2
			केंद्र शासित प्रदेश सिविल सेवाएँ	2
			मदन मोहन मालवीय अस्पताल	2
			औषधि नियंत्रण विभाग	2
			बुराड़ी अस्पताल	2
			इंदिरा गांधी अस्पताल (द्वारका)	2
			अभियोजन निदेशालय	2
			गृह रक्षक महानिदेशालय	2
			गृह विभाग	2
			ऊर्जा विभाग एवं संबद्ध कार्यालय	2
			अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	2
			डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल	2
			कला महाविद्यालय	1
			गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय	1
			प्रशासनिक सुधार विभाग	1
			निषेध निदेशालय	1
			सामान्य प्रशासन विभाग	1
			कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग	1
			कैट्स (सीएटीएस)	1
			स्वास्थ्य सेवा निदेशालय	1
			मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान	1
			जनक पुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल	1
			लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल	1
			मौलाना आजाद दंत विज्ञान संस्थान (एमएआईडीएस)	1
			मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज	1
			राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल	1
			राव तुला राम अस्पताल	1
			संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल	1
			सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल	1
			सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल	1
			सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर	1
			उद्योग विभाग	1
			भूमि एवं भवन विभाग	1
			दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड	1
			दिल्ली श्रम कल्याण बोर्ड	1
			दिल्ली विवाद समाधान समिति	1
			विधि, न्याय एवं विधायी मामलें विभाग	1
			जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय	1
			दिल्ली अग्निशमन सेवा	1
			पुरातत्व विभाग	1
			दिल्ली अभिलेखागार विभाग	1
			दिव्यांगजन आयुक्त का कार्यालय	1

		दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग — 1 दिल्ली महिला आयोग — 1 अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग — 1 आयुष निदेशालय — 1 वित्त बजट (जीएडी) — 1 जीटीबी अस्पताल — 1 मंडोली जेल — 1 **कुल** — **310**
3.	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400/- रुपये)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	चयन
6	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	*30* वर्ष से अधिक नहीं *(*केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए *5* वर्ष तक शिथिलनीय।*)* टीप*:* आयु सीमा निर्धारित हेतु निर्णायक तिथि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विज्ञापित होगी ।
7	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोगों/सूचना प्रौद्योगिकी/कंप्यूटर विज्ञान में निष्णात की उपाधि; **या** (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कंप्यूटर इंजीनियरिंग/कंप्यूटर विज्ञान/कंप्यूटर प्रौद्योगिकी/कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग/सूचना प्रौद्योगिकी में बी.ई./बी.टेक। टीप: योग्य उम्मीदवारों के मामले में, योग्यताएं कारणों को लिखित मे अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के विवेक पर शिथिलनीय है।
8	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं आयु-सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी ।	आयु: नहीं शैक्षिक योग्यता: नहीं
9	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	**सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष ।** *"उपयोगकर्ता विभागों द्वारा परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के* भाग के *रूप में वांछित पद मॉड्यूल के कर्तव्यों के क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रेरण प्रशिक्षण।"* **टीप:** पदोन्नति के मामले में कोई परिवीक्षा अवधि नहीं होगी।
10	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा/या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न	5% (16 पद) पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। 95% (294 पद) सीधी भर्ती द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

	पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	
11	यदि पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो, तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	<u>**पदोन्नति:**</u> ग्रेड में प्रदत्त पाँच वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मेट्रिक्स के स्तर-6 रुपये 35400-112400/- में **आईटी सहायक ग्रेड 'डी'** में से। **टीप:** जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो या दो वर्ष, इनमें जो भी कम हो, और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। **"प्रतिनियुक्ति:** केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारी; या (ii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मेट्रिक्स के स्तर-6 रुपये 35400-112400/- में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के उपरांत प्रदत्त ग्रैड में पांच वर्षों की नियमित सेवा सहित या समकक्ष; तथा (ख) कॉलम संख्या 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित योग्यता एवं अनुभव रखने वाले; **टीप:** प्रतिनियुक्ति की अवधि में केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेशों के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
12	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	**"समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ):** 1. अपर मुख्य सचिव (वित्त)/प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार - अध्यक्ष 2. संबंधित प्रशासनिक सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार– सदस्य। 3. विशेष/अपर सचिव (सेवाएं), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार - सदस्य। **समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ):** 1. अपर मुख्य सचिव (वित्त)/प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – अध्यक्ष 2. संबंधित प्रशासनिक सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार– सदस्य। 3. विशेष/अपर सचिव (सेवाएं), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार - सदस्य।

		टीप :- यदि विभागीय पदोन्नति समिति / विभागीय स्थायीकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष पदोन्नति समिति के किसी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय पदोन्नति समिति / विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया है।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर

आनन्द कुमार तिवारी
विशेष सचिव (आईटी)